संख्या: 28/2018/1956/12-2-2018-18/2017टी0सी0-1

प्रेषक,

उमा कान्त पाठक,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 25 जून, 2018

विषय: प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों हेतु फसली ऋण मोचन तथा एनपीए समाधान योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना तथा पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: एस.394/फ0ऋ0मो0/एन0पी0ए0 दिनांक 17 मई, 2018 व पत्र संख्या:एस-कैम्प-168/फ0ऋ0मो0/लेखा/2018-19 दिनांक 11 जून, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए फसली ऋण मोचन योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-115-छोटे/उपान्तक किसानों तथा कृषि श्रम की योजना-03-लघु तथा सीमान्त कृषकों के फसली ऋण का भुगतान के मानक मद-20-सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत रूपये 471.21 लाख (रूपये चार सौ इकहत्तर लाख इक्कीस हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से (फार्म बीएम-9 भाग-1 संलग्न) आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन, प्रचार-प्रसार, ऋण मोचन प्रमाण पत्र वितरण के लिए कैम्पों के आयोजन तथा अन्य विविध प्रशासनिक एवं अनुसांगिक व्यय हेतु विभिन्न स्रोतों यथा जनपद स्तर, सूचना एवं जन सम्पर्क तथा संस्थागत वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्तावों पर किया जायेगा।

3. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड आफ प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एक मुश्त न करके तत्काल आवश्यकता होने पर ही फेजिंग करते हुए किया जायेगा।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते/बैंक में जमा नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-115-छोटे/उपान्तक किसानों तथा कृषि श्रम की योजना-03-लघु तथा सीमान्त कृषकों के फसली ऋण का भुगतान के सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

8. व्यय से संबंधित समस्त विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।

9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में विहित व्यवस्था क का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रपत्र बी0एम0-9 में बतायी गयी बचतों के सही होने का पूर्ण उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का होगा।

11. यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या: आरई-32/ई-1-348- दस-2018 दिनांक 18 जून, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(उमा कान्त पाठक)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 28/2018/1956 (1)/12-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. अपर कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को बी0एम0-09 की 03 प्रतियों सहित।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर-150)

अनुदान संख्या व नाम: 11- कृषि वित्तीय वर्ष 2018-19 प्रपत्र बी0एम0-09

(धनराशि लाख रू0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	ओवदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण अनुदान
1	2	3	4	5	
अनुदान संख्या-11					
2401001150300					
2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत					
115-छोटे/उपान्तक किसानों तथा कृषि श्रम की योजना 03-लघु तथा सीमान्त कृषकों के फसली ऋण का भुगतान					
20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	315900.00	471.21	471.21	471.21	31542
योग	315900.00	471.21	471.21	471.21	31542
निम्नलिखित निधियों के लिए प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत 2401001150300	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमित हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण अनुदान
7	8	9	10	11	
अनुदान संख्या-11					
2401-फसल कृषि कर्म 115-छोटे/उपान्तक किसानों तथा कृषि श्रम की योजना 03-लघु तथा सीमान्त कृषकों के फसली ऋण का भुगतान					
07-मानदेय	00	10.00	10.00	10.00	10.00
13-टेलीफोन पर व्यय	00	11.60	11.60	11.60	11.60
16-व्यवसायिक तथा अन्य सेवाओं के लिए भुगतान	00	104.07	104.07	104.07	104.07
42-अन्य व्यय	00	303.54	303.54	303.54	303.5
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	00	42.00	42.00	42.00	42.00

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

योग:	00	471.21	471.21	471.21	471.21

1- स्तम्भ 2 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-3 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है:-

लाभार्थियों की संख्या अनुमान से कम होने के कारण

2- स्तम्भ-9 में उल्लिखित व्ययधिक्य निम्न कारणों से है:-

योजना के क्रियान्वयन हेतु टेलीफोन पर व्यय, जनशक्तियों के पारिश्रमिक एवं अन्य अनुसांगिक व्यय के लिए

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों/परिसीम है।

संख्या: आरई 32/ई-1-348/दस-2018 दिनांक 18 जून

हस्ताक्षर नाम व पदनाम: उमा कान्त पाठक, संयुक्त सचिव, प्रशासकीय विभाग- कृषि विभाग	हस्ताक्षर- नाम व पदनाम- नीलेश कुमार सिंह, अनु सचिव, वि

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।